Deg-2
Hist (Hons) P-III

वित्तीय प्रशासन एवं न्याय प्रशासन

वित्तीय प्रशासन —

दिल्ली सल्तनत की आमदनी के मुख्य स्रोत थे - खराज, उश्र, जकात, जजिया, खम्स। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कर भी थे। जैसे - खानों की खुदाई और उत्तराधिकार हीन सम्पत्ति की आमदनी पर कर। सीमा शुल्क, आबकर आदि। इन स्रोतों से राज्य को भारी मात्रा में धन प्राप्त होता था। सुल्तान को सर्वाधिक धन युद्ध में की गई लूटपाट से प्राप्त होता था।

न्याय प्रशासन —

सुल्तान सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी था। धार्मिक झगड़ों के निर्णय में वह मुख्य सद्र और मुफ्ती की सहायता लेता था और अन्य मामलों में काजी की। सुल्तान के बाद मुख्य न्यायिक अधिकारी मुख्य काजी था। जिसकी नियुक्ति सुल्तान

P.T.O.

द्वारा की जाती थी। मिनहाज उस-सिराज काफी लम्बे समय तक इस पद पर रहा। मुख्य काजी को सद्र-ए-जहान कहा जाता था, दाद-ए-बक और अमीर-ए-दाद अन्य न्यायिक अधिकारी थे। ग्रामों में पंचायत और शहरों में कोतवाल की न्यायिक भूमिका निभाते थे। जिन केसों में केवल हिन्दू ही होते थे उन्हें पंचायतों द्वारा तय किया जाता था और मुसलमानों का निर्णय काजी किया करते थे। दण्ड काफी कठोर थे।